

मूल वाद में डिकी
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- शकुन्तला चौधरी आर० ए० एस०

उनवान

जयपाल पुत्र सुरजाराज जाति बनाम 1. सुरजाराज पुत्र भानसिंह जाति पावल
पारवत 2. सुरेशचंद्रगुप्त पुत्र सुरजाराज
दावा बाबत :- 88 RTAथ 3. महेन्द्रसिंह पुत्र सुरजाराज
मुकदमा नम्बर :- 192/21 4. सरोज पुत्री सुरजाराज
निर्णय दिनांक :- 08.11.21 5. सन्तोष उर्फ भाविनी देवी पुत्री सुरजाराज
6. राजाशान मरुतार जाति गृहतीतद्वारा भादरा

वादी की ओर से वकील सुरजाराज गोस्वामी की व प्रतिवादीगण की ओर से
वकील राजेश गोस्वामी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.11.21 को

शकुन्तला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश
दिया जाता है कि चक्र 1 MSR के खाता सं० 22/93 की 13.662 हेक्टेयर
चक्र 1 BHD के खाता सं० 19/128 की 1-265, चक्र 1 BHD
के खाता सं० 56/127 की 6.578, चक्र 2 BHD के खाता सं०
29/104 की 7-754, चक्र 1 BHD के खाता सं० 276/36 की
0.759 हेक्टेयर, चक्र 2 MSR के खाता सं० 38/71 की 1.771
चक्र 2 MSR के खाता सं० 133/104 की 4-301, चक्र 6 बरानी
के खाता सं० 188/52 की 0.506, हेक्टेयर में प्रतिवादी
सुरजाराज के नाम डर्र खातेदारों में तन्हा सुरजाराज की
बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ब.दि.क. के अनुसार खातेदार
काश्तकार है। चक्र 7 बरानी के खाता सं० 145/9 की 1.518
हेक्टेयर में माना बल्ड डर्र के नाम डर्र 1/24 हिस्सा में से
आधा 1/48 हिस्सा के वादी एवं प्रतिवादी सं० 1 ता 3
ब.दि.क. के अनुसार खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी सरोज
सन्तोष सावित्री के द्वारा किये गये एक त्नाग पर निम्नानुसार
डेप न्यायधुल्ल पेश करने पर पालगार्व क्रोडेष जादी हो
साध ही रहनहुम्न होने पर पालगार्व क्रोडेष जादी हो
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिकी आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

शकुन्तला चौधरी

(आर० ए० एस०)

उपखण्ड अधिकारी भादरा

हनुमागढ़